बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

सूचना

विज्ञापन संख्या–06/2022 के अन्तर्गत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 31.08.2023 को आयोजित मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षफल आयोग के वेवसाईट पर प्रकाशित कर दी गयी है।

उक्त परीक्षाफल में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण–पत्रों का सत्यापन (Certificate Verification) एतदर्थ गठित टीम द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ पटना में दिनांक 04.12.2023 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से Certificate Verification की समाप्ति तक की जायेगी।

दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। संबंधित उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

प्रमाण–पत्र सत्यापन के लिये संबंधित अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी दो स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे।

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
2. इण्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र।
4. अगर नियुक्त/नियोजित हो तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
5. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र।
6. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र)।
7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक–6026, दिनांक–19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।
11. दिव्यांगता आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
12. स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी द्वारा आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र।
13. अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।
14. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में प्रमाण–पत्र।
15. विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन का सार (प्रपत्र–1) दो प्रतियों में (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)।
16. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन संख्या–06/2022 से संबंधित Online आवेदन की Hard Copy ।
17. विज्ञापन संख्या–06/2022 से संबंधित प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश–पत्र (Admit card)।
18. पासपोर्ट साईज का 04 (चार) फोटो।
19. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र की सभी प्रमाण–पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है।
20. फोटोयुक्त पहचान–पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई–डी कार्ड/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।

दस्तावेदज सत्यापन के लिए बूलाये जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

प्रमाण–पत्रों के सत्यापन/जांच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना